

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीप्लू विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई:-400096

फा.सं. सीप्लू-सेज/सुरक्षा/वि.वि. / 29/2018/पार्ट फाईल/23954

दि. 04 अक्टूबर 2018

सूचना

विषय :- दो पहिया / चार पहिया वैध वाहन पास धारक कर्मचारियों को द्वार संख्या - 2 से
समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक प्रवेश/निकास अनुमती के संबंध में।

द्वार संख्या-1 के बाहरी बाजू का मेट्रो निर्माण का काम शुरू होने से सीप्लू-सेज के सभी युनिट कर्मचारियों को दो पहिया / चार पहिया वैध वाहन से प्रवेश / निकास करने से होनेवाली असुविधा को मदे नजर रखते हुए उनका प्रवेश सरल सुरक्षित होने हेतू सभी युनिटों के दो पहिया / चार पहिया वैध वाहन पास धारक कर्मचारियों को द्वार संख्या-2 से समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक प्रवेश / निकास की अनुमती दी जाती है।

इसकी कालावधी एक माह दिनांक 01-10-2018 से 31-12-2018 तक वैध रहेगी।
इसे मा. विकास आयुक्त महोदय, सीप्लू-सेज का अनुमोदन प्राप्त है।



(विजय नरे)

सहा. सुरक्षा अधिकारी
सीप्लू-सेज

प्रतिलिपी,

1. सुरक्षा अनुभाग,
2. आयटी अनुभाग सीप्लू-सेज वेबसाईड पर अपलोड करे।
3. आउटलुक